

28-2-20 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षी सं० 01 लगायत 07 को कितनी मतेवा कर-रुब आवाजे खिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वास्तु पत्रावली में अंतिम कार्यवाही हेतु मियत दिनांक 23-3-20 को पेश हो।

27-3-20 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28-3-20 को पेश हो।
 सिडर
 उपखण्ड अधिकारी माण्डल

8-5-20 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29-5-20 को पेश हो।
 सिडर
 उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29-5-20 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 14-8-20 को पेश हो।
 सिडर
 उपखण्ड अधिकारी माण्डल

14-8-20 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, तहसीलदार माण्डल से भौका विपार्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई, वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृष्ठक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फेरल शुमार होकर अग्लर से कम हो।
 उपखण्ड अधिकारी
 मांडल जिला भीलवाड़ा



व ताशिरा
म जो इस
की तापील
ताशिरा

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

तहसील अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

क्रमा संख्या - 174/19 प्रा.पत्र

श्री अंतर सिंह vs श्री प्रताप सिंह राजपूत निवासी - चान्दारा तहसील - माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

- श्री अंतर सिंह vs श्री प्रताप सिंह राजपूत निवासी - चान्दारा तहसील - माण्डल (बंगरा)
(संबन्धित प्र.पत्र स्तिम्न है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14.08.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चान्दारा पटवार हल्का चान्दारा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी 496/3, 498, 500, 503 कुल किता 07 रकबा 05 बीघा 18 विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03-12-19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे कारत कारत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चान्दारा पटवार हल्का चान्दारा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी 496/3, 498, 500, 503, 505, 507, 2373 कुल किता 07 रकबा 05 बीघा 18 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक चान्दारा 400/- रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्ताकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा